न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के. जैन**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3023-एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-06-2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 30/अपील/2015-16

---

1. राजाराम तनय सक्के यादव
2. गोवर्धन यावद तनय सक्के यादव
3. हरि यादव तनय सक्के यादव

निवासीगण ग्राम बड़ाघाट, तहसील वलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन, द्वारा तहसीलदार वल्देवगढ़
2. भगवानदास तनय मातादीन यादव

निवासीगण ग्राम बड़ाघाट, तहसील वलदेवगढ़
जिला टीकमगढ़ म.प्र .....अनावेदकगण

श्रीमती रजनी वशिष्ट, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए.के. निरंकारी, अभिभाषक, अनावेदक क्रं. 1
श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रं. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित दिनांक 30-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्रमांक 1 राजाराम द्वारा नायब तहसीलदार वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/अ-3/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 19-03-2002 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी वलदेवगढ़ के समक्ष दिनांक 11-02-2016 को 13 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अपील/2015-16 दर्ज कर दिनांक 30-06-2016 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि खसरा नंबर 953 की भूमि जो पूर्व में शासकीय थी, उसका बंटन विभिन्न व्यक्तियों को किया गया था एवं कुछ भूमि शेष रही थी । पट्टे में प्राप्त भूमि के स्वामियों में से कुछ ने अपनी भूमि का विक्रय किया है जिसका यह परीक्षण भी किया जाना है कि क्या ऐसा विक्रय नियमानुसार था ? एवं क्या तरमीम हेतु विधिवत प्रक्रिया का पालन किया गया था ? नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 19-03-2002 के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है । अत: प्रकरण का परीक्षण उभयपक्षों को समुचित अवसर दिया जाकर किया जाना चाहिए ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-06-2016 जिसके द्वारा धारा 5 का आवेदन अवधि बाह्य होने के कारण निरस्त किया गया है, उसे निरस्त किया जाता है, अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्षों को समुचित अवसर देते हुए गुण-दोषों के आधार पर प्रकरण में उचित निर्णय पारित करे ।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वापस किया जाये ।

(आर.के. जैन) 21/7/18
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर